



प्रेषक,

सोमनाथ,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र०शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र०, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 25 फरवरी, 2026

विषय - वित्तीय वर्ष 2025-26 में आर०आई०डी०एफ०योजना के अन्तर्गत अनुदान सं०-57/83 मद में विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के 09 सेतुओं (01 आर०ओ०बी० सेतु+08 लघु सेतु) के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के 09 सेतुओं (01 आर०ओ०बी० सेतु+ 08 लघु सेतु) के चालू कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹0 885.63 लाख (जिसमें अनुदान सं०-57 से ₹0 697.78 लाख एवं अनुदान सं०-83 से ₹0 187.85 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

तालिका-क(आर०ओ०बी०सेतु)

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या व दिनांक	पुनरीक्षित स्वीकृत मूल लागत(सेतु निगम अंश+ रेल अंश सहित)/ पुनरीक्षित संशोधित स्वीकृत लागत/ प्राविधिक स्वीकृति लागत	रेलवे का अंश	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत (रेलवे अंश को छोड़कर)	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष (रेलवे अंश को छोड़कर)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि		
											अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
1	18863/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / MRT/2025-26 Dt-24-01-2026	सेतु निगम बागपत	जनपद बागपत में उत्तर रेलवे के दिल्ली-शाहदरा-टपरी-सहारनपुर सेक्शन के बडौत-कासमपुर खेडी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित सम्पार संख्या 49ए, किमी० 49/5-6 (बडौत-मुजफ्फरनगर सड़क मार्ग) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	387/2025/1/112 8253/2025/23-11099(099)/102/2025 दि० 30.10.2025-दिनांक-30-10-2025	3779.94 3779.94 2743.99	1035.95	0.00	2743.99	2196.66	547.33	323.14	86.99	410.13
			योग								323.14	86.99	410.13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तालिका-ख(लघु सेतु)

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	खण्ड /जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष (प्राविधि क लागत के सापेक्ष)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19187/CE- SEB/NABARD (BRIDGE)/ GKP/2025-26 Dt- 30-01- 2026	प्रा0ख0 कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में पडरौना बॉसीघाट मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि०मी० 3 में स्थित झरही नाले पर लघु सेतु के पुर्ननिर्माण का कार्य।	10/2025/1 5/001-23- 9099(099) -13-2024- दिनांक-03- 01-2025	211.25 211.25	5.35	205.90	104.73	101.17	71.60	19.28	90.88
3	19188/CE- SEB/NABARD (BRIDGE)/ KNP/2025-26 Dt- 30-01- 2026	प्रा0ख0 कानपुर नगर	जनपद कानपुर नगर में साढ़ पर्वतपर से मुसाफा संपर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त लघु सेतु 5x6.00 मी० स्पान के पुनः निर्माण का कार्य	10/2025/1 5/001-23- 9099(099) -13-2024- दिनांक-03- 01-2025	204.25 200.70	3.47	197.23	163.40	33.83	21.54	5.80	27.34
4	19228/CE- SEB/NABARD (BRIDGE)/ ALI/2025-26 Dt- 30-01- 2026	नि0ख0 -1 अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में सासनी- अकराबाद मार्ग के किमी०-24 में खारजा नहर(गंगेज कैनाल) पर बने क्षतिग्रस्त केलनपुर लघु सेतु के पुनः निर्माण कार्य	10/2025/1 5/001-23- 9099(099) -13-2024- दिनांक-03- 01-2025	200.55 200.55	14.68	185.87	171.73	14.14	11.14	3.00	14.14
5	19228/CE- SEB/NABARD (BRIDGE)/ ALI/2025-26 Dt- 30-01-	नि0ख0 -1 अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में गोपी- विजयगढ़ मार्ग के किमी०-2 में	10/2025/1 5/001-23- 9099(099) -13-2024- दिनांक-03-	211.73 211.73	28.51	183.22	174.06	9.16	7.22	1.94	9.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	2026		खारजा नहर(गंगेज कैनाल) पर बने क्षतिग्रस्त रूदायन लघु सेतु के पुनः निर्माण कार्य	01-2025								
6	19314/CE- SEB/NABARD/ BRIDGE)/MBD/ 2025- 26/Dt.03-02- 2026	प्रा0ख0 मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद में हरिद्वारी(कांवड पथ) पर रूस्तमपुर से चौरा रसूलपुर के बीच सुन्दरी नाले पर 3x10 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	10/2025/1 5/001-23- 9099(099) -13-2024- दिनांक-03- 01-2025	301.87 301.87	2.96	298.91	153.50	145.41	78.79	21.21	100.00
7	19313/CE- SEB/NABARD/ BRIDGE)/BAS/ 2025- 26/Dt.03-02- 2026	प्रा0ख0 संतकबीर नगर	रामजंगला से नरचहाताल पर लघु सेतु 4x5 मी. बौक्स क्लवर्ट एवं एप्रोच तथा अतिरिक्त एप्रोच का निर्माण कार्य।	64/2023/5 76/23-9- 23/001-23- 9/54/2022- दिनांक-15- 03-2023	134.25 134.25	1.01	133.24	69.26	63.98	50.41	13.57	63.98
8	19312/CE- SEB/NABARD/ BRIDGE)/ALI/ 2025-26 Dt- 03-02-2026	प्रा.ख. कास गंज	जनपद कासगंज में कासगंज स्माइलपुर मार्ग के किमी0-10 में एल0जी0सी0 (फरूखाबाद ब्रांच) नहर पर पुल के नवनिर्माण कार्य	10/2025/1 5/001-23- 9099(099) -13-2024- दिनांक-03- 01-2025	217.91 217.91	0.34	217.57	102.58	114.99	55.15	14.85	70.00
9	19531/CE- SEB/NABARD/ BRIDGE)/GKP/ 2025-26 Dt- 13-02-2026	प्रा.ख. कुशीनगर	तमकुही सिसवा नाहरअहिरौलीदान मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 18 (200) बड़ी नहरपर 4x6 मी0 स्पान का लघु सेतु का निर्माण कार्य।	10/2025/1 5/001-23- 9099(099) -13-2024- दिनांक-03- 01-2025	210.32 210.32	4.60	205.72	4.70	201.02	78.79	21.21	100.00
			योग							374.64	100.86	475.50
			योग (तालिका-क+ख)							697.78	187.85	885.63

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - (2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
 - (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
 - (4) वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
 - (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
 - (7) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।
 - (8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड आवश्यक सूचनाओं का परीक्षण पुनः कर लिया जायेगा। यदि सूचनाओं में कोई विसंगति होती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा इस विसंगति के लिए मुख्यालय/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 6,97,78,000(रुपये छः करोड़ सत्तानबे लाख अठहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,87,85,000 (रुपये एक करोड़ सत्तासी लाख पच्चासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सोमनाथ

संयुक्त सचिव।

संख्या-51/2026/आई/1250111/2026(1)/003-23-9-2026-23-9002-002-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उओप्रओ प्रयागराज ।
- 2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0शासन।
- 6- निदेशक, कोषागार, 30प्र0 लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 8- प्रबंधक, 30प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 30प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 11- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, 30प्र0 शासन।
- 13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
- 14- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
- 15- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 16- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 17- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
- 18- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।